

**आयकर अपीलीय अधिकरण, इंदौर न्यायपीठ, इंदौर**

**श्री राजपाल यादव, माननीय उपाध्यक्ष तथा**  
**श्री मनीष बोरड, लेखा सदस्य के समक्ष**  
**आभासी (Virtual) सुनवाई के माध्यम से**

**आ.अ.सं. 155 / इंदौर /2020**

**निर्धारण वर्ष : 2008-09**

श्री रामचंद्र ऐरन, इंदौर	बनाम	सहायक आयकर आयुक्त, रेंज 3 (1), इंदौर
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं.-एडीबीपीए 8432 जी		

अपीलार्थी की ओर से	श्री जतिन सहगल, एडवोकेट
राजस्व की ओर से	श्री हर्षित बारी, वरिष्ठ विभागीय प्रतिनिधि
सुनवाई तिथि	07.07.2021
उद्घोषणा तिथि	07.07.2021

**आदेश**

**श्री राजपाल यादव, उपाध्यक्ष द्वारा**

निर्धारण वर्ष 2008-09 से संबंधित निर्धारिती की उपरोक्त शीर्षक की अपील विद्वान आयकर आयुक्त (अपील)-II, इंदौर के आदेश दिनांक 05.03.2018 के विरुद्ध निदेशित है ।

2. सुनवाई के प्रारंभ में ही, निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि निर्धारिती ने "विवाद से विश्वास योजना,2020" के तहत आवेदन किया है तथा विभाग द्वारा फार्म सं. 3 जारी किया गया है । "विवाद से विश्वास योजना,2020" हेतु विरचित नियमों के अनुसार, वर्तमान अपील को वापिस लेना अपेक्षित है अतः इस अपील को वापिस लेने हेतु अनुरोध किया गया ।

3. दूसरी ओर, विद्वान विभागीय प्रतिनिधि (विप्र) ने निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता द्वारा "विवाद से विश्वास योजना,2020" में भाग लेने हेतु पात्र होने के उद्देश्य से वर्तमान अपील को वापिस लेने हेतु किए गए अनुरोध का विरोध नहीं किया ।

4. हमने परस्पर विरोधी दावों को सुना है तथा हमारे समक्ष रखे गए अभिलेखों का अवलोकन किया है । निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि चूंकि निर्धारिती ने "विवाद से विश्वास योजना,2020" में भाग लिया है, अतः निर्धारिती को वर्तमान अपील को वापिस लेना हैं । प्रकरण के इन तथ्यों एवं परिस्थितियों के अधीन, हम एतद् द्वारा निर्धारिती द्वारा दाखिल वर्तमान अपील को वापिस लिए जाने के कारण खारिज करते हैं ।

5. यद्यपि, निर्धारिती विधि के अनुसार, विनिहित अवधि के अंदर आदेश को वापिस बुलाने (recall) हेतु विविध आवेदन दाखिल करने के लिए स्वतंत्र होंगा यदि उसका इस योजना में भाग लेने हेतु किया गया आवेदन राजस्व द्वारा किसी कारण से अस्वीकृत किया जाता है ।

6. परिणामतः, निर्धारिती की अपील वापिस लिए जाने के कारण खारिज की जाती है ।

यह आदेश 07.07.2021 को आयकर अपीलीय अधिकरण नियम, 1963 के नियम 34 के अंतर्गत उद्घोषित किया गया है।

हस्ता/-

(मनीष बोरड)

लेखा सदस्य

हस्ता/-

(राजपाल यादव)

उपाध्यक्ष

दिनांक : 07.07.2021

प्रतिलिपि : अपीलार्थी, प्रत्यर्थी, आयकर आयुक्त (अपील), आयकर आयुक्त, विभागीय प्रतिनिधि, गार्ड फ़ाइल